न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 19/2009–10
21/2013

सुजीत कुमार

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
23.8.2016	**आदेश**	
	आपूर्ति अपील अंतर्गत विचाराधीन वाद संख्या– 19/2009-10 21/2013 सुजीत कुमार द्वारा लाया गया है, जो अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा, अनुज्ञप्ति संख्या–03जी0/2007 जन वितरण प्रणाली विक्रेता वार्ड नं0–04 नगर पंचायत, गोगरी, के रद्द कर दिये जाने से उद्भूत है।	
	सारांश रूप में प्रश्नगत अनुज्ञप्ति के रद्द किये जाने का आधार अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता सुजीत कुमार द्वारा माह अगस्त 2008, सितम्बर 2008 एवं अक्टूबर 2008 के वितरण हेतु उपावंटित बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान्न प्राप्ति हेतु बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा किया जाना वर्णित है। बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा किये जाने के कारण उपभोक्ता के लाभ से वंचित रहने के स्थिति में 119 उपभोक्ताओं के संयुक्त आवेदन के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से दुकान की जाँच करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी का कथन है कि जाँच के क्रम में दुकान बंद पाया जाना संदर्भित अवधि के लिए बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा किया जाना तथा दुकान पर सूचना पट् नहीं लगा रहना प्रतिवेदित है। उक्त गंभीर अनियमितता तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी की अनुशांसा के आधार पर विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है।	
	विक्रेता द्वारा अपील आवेदन के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की गयी है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की अनदेखी की गयी। उनके द्वारा बैंक ड्राफ्ट स–समय जमा कर दिया गया था, किन्तु *"अपेक्षित भंडार निर्गमादेश में साथ ही आपूर्ति में संबंधित भंडार प्रबंधक की ओर से विलम्ब हुआ कि माह अगस्त 2008 के खाद्यान्न की आपूर्ति माह अक्टूबर नवम्बर तक नहीं की गयी और इस दरम्या नही उपरोक्त आरोप बिन्दु पर अनुज्ञप्ति के निलंबन एवं रद्दी करने की कार्रवाई अवधारित कर ली गयी।"* सुनवाई के क्रम में भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा समरूप बातें दोहरायी गयी तथा अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया।	
	सरकारी विज्ञ अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलार्थी का आवेदन तर्क संगत नहीं हैं। आगे बताया कि माह अगस्त 2008, सितम्बर 2008 एवं अक्टूबर 2008 का अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 उपावंटित खाद्यान का ड्राफ्ट नहीं लगाये जाने के कारण तीन माह का खाद्यान व्ययगत हो गया जो जन वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन है।	
	वस्तु स्थिति के सम्यक विचारण हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। अभिलेख के आदेश फलक के पठन से स्पष्ट है कि	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3.

अनुमंडल पदाधिकारी इस तथ्य से सहमत थे कि विक्रेता द्वारा संदर्भित माह के खाद्यान्न प्राप्ति हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया था, फलस्वरूप उपभोक्ता खाद्यान्न से वंचित रहे।

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके कि उनके द्वारा स–समय बैंक ड्राफ्ट क्यों नहीं जमा किया जा सका था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया था। न्यायालय भी उनके कथन से संतुष्ट नहीं है।

उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित दिनांक 20.07.2009 को पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, खगड़िया।   समाहर्त्ता, खगड़िया।

डी0बी0 03 (अपी.) /विधि, दिनांक 23/8/2011

प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

23/8/2011

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।